

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

५५२५ ५५

निर्णय दिनांक १०/१०/१९

रिपोर्ट पटवारी हल्का बालाम द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक २३/९/१९ को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का बालाम द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल राजवसु पुत्र नी आशम कौम वसु निवासी विहैय तहसील राजाखेडा ने आराजी ख० न० २२५ किस्म गिरगाह रकवा ०.०५ बाके ग्राम विहैय पर बालाम की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का को अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान ०.४० की 50 गुनी से शास्ति राशि ५०१ रुपये आरोपित की जाती है। भू० अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी० आर० ए० का मार्ग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुल न्यायालय सुनाया गया ।

पंजिका नं० ५०
 क्रम सं० ३२ क्रम सं० ०८
 दर्ज की गई
6/2/18
 TRA
 राजाखेडा

पुल
 तहसीलदार
 राजाखेडा